सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

16 JYESHTH 1947 (S)

No. 291

RANCHI FRIDAY 6TH JUNE, 2025

DEPARTMENT OF LABOUR, EMPLOYMENT, TRAINING & SKILL DEVELOPMENT,

---

NOTIFICATION

4th June, 2025

File No.-02/श्रमा°का° (BOCW)-04/2025 श्र°नि°-1091--

S.O ____(E).-Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the **Department of Labour, Employment, Training & Skill Development** (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department, as the case may be) in the Government of Jharkhand (hereinafter referred to as the said Government) is administering the **Parivar Pension Yojana (hereinafter referred to as the said scheme) To provide financial assistance to the dependents, equivalent to 50% of the pension received by the beneficiary/pensioner or Rs. 500, whichever is higher, in the event of the death of a registered construction worker.**

OR

And whereas **Jharkhand Building and Other Construction Workers' Welfare Board** (hereinafter referred to as the said agency) under the administrative purview of the **Department of Labour, Employment, Training & Skill Development** (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department, as the case may be) in the Government of **Jharkhand** (hereinafter referred to as the said Government) is administering the **Parivar Pension Yojana** (hereinafter referred to as the said scheme)

And whereas given to the **Benefit for receipt of which proof of Aadhar number is proposed to be made necessary** (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the **Construction Workers**

(hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof:

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Cess Fund of **Jharkhand Building and Other Construction Workers' Welfare Board**.

And whereas the **Jharkhand Building and Other Construction Workers' Welfare Board** is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of **Jharkhand** hereby notifies the following, namely:-

1. An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password- protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. The said scheme, managed by the Jharkhand Building and Other Construction Workers ' Welfare Board, is exclusively designed to benefit building and other construction workers. Therefore, individuals below 18 years of age are not eligible for its benefits.

5. In order to ensure that bona fide beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the **Jharkhand Building and Other Construction Workers' Welfare Board** shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, and Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the official Gazette.

By order of the Governor of Jharkhand,

Sd/-
Under Secretary, Office of the
labour commissioner, Jharkhand.

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

4 जून, 2025

ज्ञापांक-02/श्रमा॰ का॰ (BOCW)-04/2025 श्र॰ नि॰—1092--

एस.ओ. ____**(ई)।**- जबकि पहचान स्थापित करने के लिये आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिये दस्तावेज़ों की बहुलता की आवश्यकता को कम करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है:

और जबकि **झारखंड सरकार में श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग** (इसके बाद उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग, जैसा भी मामला हो) **पारिवारिक पेंशन योजना का प्रशासन कर रहा है (इसके बाद उक्त योजना के रूप में संदर्भित) पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी/ पेंशनभोगी द्वारा प्राप्त पेंशन के 50% के बराबर या 500 रुपये, जो भी अधिक हो, आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।**

अथवा

और जबकि **झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** (इसके बाद उक्त एजेंसी के रूप में संदर्भित) **श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग** (इसके बाद उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग के रूप में संदर्भित, जैसा भी मामला हो) के प्रशासनिक दायरे के तहत **झारखंड** सरकार (इसके बाद उक्त सरकार के रूप में संदर्भित) प्रशासन **कर रहा है पारिवारिक पेंशन योजना** (इसके बाद उक्त योजना के रूप में संदर्भित)

और जबकि उक्त लाभ दिया जाता है और **जिसकी प्राप्ति के लिए आधार संख्या का प्रमाण आवश्यक बनाया जाना प्रस्तावित है** (इसके बाद उक्त लाभ के रूप में संदर्भित) उक्त योजना के तहत **निर्माण श्रमिकों** (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित) को दिया जाता है और उसके संबंध में निर्देश और दिशानिर्देश निर्गत किए गए हैं ;

और जबकि उक्त योजना के लिए व्यय **झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** की उपकर निधि से किया जाता है.

और जबकि **झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** यह चाहता है कि उक्त सरकार उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा करे कि ऐसे लाभार्थी को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, **झारखंड** सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. उक्त योजना के तहत उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, या आधार संख्या के रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभों को सुविधाजनक रूप से प्राप्त करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लाभार्थियों को आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. जहां बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता जैसे किसी भी बायोमेट्रिक आधारित तरीके (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किए गए लाभार्थी के आधार नंबर का प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाया जाएगा, अर्थात्: –

(क) यदि अधिप्रमाणन की कोई विशेष बायोमेट्रिक आधारित पद्धति सफल नहीं होती है तो जहां कहीं व्यवहार्य और ग्राह्य हो, बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण या एकबारगी पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका जो व्यवहार्य और स्वीकार्य हो, प्रदान किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक-आधारित अथवा ओटीपी-आधारित विधियां अधिप्रमाणन के व्यवहार्य नहीं हैं, उक्त स्कीम के अंतर्गत लाभ आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड अथवा आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार

संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के बाद, निम्नलिखित में से किसी के आधार पर दिया जाएगा:

(i) आधार क्यूआर स्कैनर अथवा एमआधार एप का उपयोग करके क्यूआर कोड स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता सिद्ध होने के बाद आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसकी आधार संख्या सृजित करने पर जारी किया गया पत्र) अथवा ई-आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले अथवा एमआधार एप का उपयोग करके डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रतिलिपि) युक्त आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड।

(ii) यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए ब्यौरे के अनुसार, इस प्रयोजनार्थ मंत्रालय अथवा विभाग अथवा संबंधित स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित आवेदन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी सत्यता स्थापित होने के पश्चात् आधार पेपरलेस ऑफलाइन ईकेवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकने वाले अथवा इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके सुलभ) किया जा सकता है।

4. झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रबंधित उक्त योजना विशेष रूप से भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसलिए 18 वर्ष से कम आयु के सामान्य व्यक्ति इसके लाभों के लिए पात्र नहीं हैं।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रामाणिक लाभार्थी उक्त योजना के तहत उनके कारण लाभ से वंचित नहीं हैं, **झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-D-26011/04/2017-DBT दिनांक-19 दिसम्बर, 2017 में (https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध) निर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग तंत्र का पालन करेगी ।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अवर सचिव,

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 291-- 50.